न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
1/2020	27/02/2020	21.11.2025

1– अल्लानूर पुत्र दीना उर्फ दीनमोहम्मद उम्र 80 साल, जाति मुसलमान लुहार निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज मृतक कायम मुकाम वारिसान
1/1 महबूब हुसैन पुत्र अल्लानूर
1/2 रूकसाना पुत्री अल्लानूर
1/3 रईसाबाई पत्नि अल्लानूर
2–गफूर पुत्र दीना उर्फ दीनमोहम्मद उम्र 78 साल, जाति मुसलमान लुहार निवासी अयाना तहसील पीपल्दा हाल निवास चन्द्रपुरा मंदिर के पास पंडित मोहल्ला तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश

अपीलान्ट

बनाम

रसूलीबाई पुत्री दीना उर्फ दीनमोहम्मद पत्नी जुम्मा खॉ जाति मुसलमान लुहार निवासी रजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

रेस्पोडेन्ट

अपीलान्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री रमेश बेरवा एड0।

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट. 1956 बनाराजगी आदेशदिनांक 20.2.015 न्यायालय ग्राम पंचायत रजोपा बाबत नामान्तकरण संख्या 540 दिनांक 20.2.015 ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हुक्मजेर अपील आदेश रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 540 दिनांक 20.2.015 ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. जो दिया गया है वह कानून कें व न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है। ग्राम रजोपा पटवार हल्का रजोपा की खाता संख्या 238 की ख.न. 281 रकबा 0.13 है., ख0नं0 282 रकबा 0.01 है., ख0नं0 283 रकबा 0.05 है., ख0नं0 284 रकबा 0.01 है. ख.न. 285 रकबा 0.39 है. ख.न. 673/280 रकबा 0.39 है. कुल किता 6 रकबा 0.98 है. भूमि गैर खातेदारी में अपीलान्ट के भाई अब्दुल शकुर के गैर खातेदारी में दर्ज थी, अपीलान्ट के भाई अब्दुल शकूर की मृत्यु सन 2007 में हो चुकी थी, उसके कोई उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अलावा कोई नही था, विरासतन अब्दुल शकूर की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का नाम उसके स्थान पर नामान्तकरण खालते समय विरासत के रूप में दर्ज करना चाहिये था, हुक्मजेर अपील में गलत तथ्य वर्णित कर मात्र रेस्पोडेन्ट रसूली बाई ने अपना नाम हुक्मजेर अपील नामान्तकरण संख्या 540 दिनांक 20.2.015 अपने पक्ष मे खुलवा लिया जबकि उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलान्ट को कभी भी नही हुई उपरोक्त इंतकाल विधि के विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हुक्मजेर अपील आदेश राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट व रिकार्ड व रूल्स 1957 के प्रावधानो कें एवं राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट के प्रावधानो के विपरीत होने सें निरस्त किये जाने योग्य

है। अधीनस्थ न्यायालय में यह गोर नही फरमाया कि मृतक अब्दुल शकुर नाओलाद फोत हो चुका है उसकें कितने उत्तराधिकारी है इस सम्बन्ध में कोई जाँच नही की गई पूर्व में रेस्पोडेन्ट नें तहसीलदार पीपल्दा के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, कि मृतक अब्दुल शकूर ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में वसीयत की है ओर रेस्पोडेन्ट मृतक की सगी बहिन है वसीयत के आधार पर मृतक के स्थान पर रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावें ओर रेस्पोडेन्ट नें इस तथ्यो को भी प्रार्थना पत्र मे छुपाया कि मृतक अब्दुल शकूर के रेस्पोडेन्ट के अलावा कोई अन्य वारिसान एवं उत्तराधिकारी नही है वसीयत के आधार पर नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खोला जावें लेकिन तहसीलदार पीपल्दा द्वारा दिनांक 5.11.014 कों निर्णय किया कि गैरखातेदारी की भूमि पर वसीयत आर. टी.एक्ट. 1955 के प्रावधानो के विपरित होने से शून्य है ओर कोलोनाईजेशन एक्ट के प्रावधानों के विपरित है क्योकि गेर खातेदार अपनी भूमि की वसीयत नहीं कर सकता है अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा पटवारी हल्का को प्राकृतिक वारिसान की जाँच कर उनके हक में नामान्तकरण करने हेतू आदेश जारी किया जाता है। उक्त तथ्यो को छुपाते हुये रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से मिली भगत करके यह लिखवा लिया कि रसूलीबाई के अलावा मृतक अब्दुल शकूर के ओर कोई वारिसान नही है जबकि अपीलान्ट मृतक अब्दुल शकूर के सगे भाई है मृतक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही पिता की संतान है अपीलान्ट मृतक अब्दुल शकूर के उत्तराधिकारी व वारिसान है हुक्मजेर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट में कूटरचित तरीके से फर्जी वसीयत अपीलान्ट के भाई की बना ली जिसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अपीलान्ट का मृतक भाई अब्दुल शकूर रेस्पोडेन्ट के गाँव मे ही रहता था, ओर रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की सगी बहिन है इस कारण अपीलान्ट नें रेस्पोडेन्ट से कहा था, कि मृतक अब्दुल शकूर की भूमि की देखरेख तू करना हम दूर रहते है इसलिये हमें इस पर काश्त करने में असुविधा होगी ओर अपीलान्ट की सहमति से रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के मृतक भाई की भूमि पर काश्त करती रही। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपस मे प्रेम था, तथा एक ही पिता की संतान है तथा सोहार्द वातावरण था, रेस्पोडेन्ट की नियत में बध्यान्ति आनें ओर मृतक अब्दुल शकूर की भूमि कों दिगर व्यक्तियो कों बैचान करने की बात करने लगी तब अपीलान्ट दिनांक 5. 12.019 कों रेस्पोडेन्ट के पास गयें ओर उससे तकाजा किया कि मृतक अब्दुल शकूर की गैरखातेदारी भूमि को तुम कैसे बेच रही हो हमने तों तुझें हमारी बहिन समझकर हमारे हिस्से की भूमि पर काश्त करने के लिए दे रखा था, तों रेस्पोडेन्ट ने कहा कि तुम्हारा कोई हक नहीं है खाते में मेरा नाम आ गया है मेरी मर्जी पडेगी वह करूंगी तुम्हारा कोई लेना–देना मृतक अब्दुल शकूर की भूमि से नहीं है यह कहते ही अपीलान्ट के होश उड गयें इस पर अपीलान्ट में पटवारी हल्का से बात की तो कहा कि तहसील मे जाकर नकले लो मैं कुछ नही कर सकता अपीलान्ट नें दिनांक 7.12.019 कों हुक्मजेर अपील सम्बन्धित नकले प्राप्त करने का आवेदन किया जिस पर दिनांक 11.12.019 कों अपीलान्ट को नकल प्राप्त हुई अपीलान्ट एग्रीवड परशन व्यथित व्यक्ति है उनके हुक्मजेर अपील सें अधिकार प्रभावित हो रहे है नकल प्राप्त करने के बाद यह अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष बिना देरी के प्रस्तुत की गई है इस प्रकार अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पृथक से प्रस्तुत कर दिया है। अत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर हुक्मजेर अपील नामान्तकरण संख्या 540 दिनांक 20.2.015 ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. निरस्त फरमाया

जावे तथा अपीलान्ट का व रेस्पोडेन्ट का नाम मृतक अब्दुल शकूर के उत्तराधिकारी होने पर मृतक अब्दुल शकूर की गैर खातेदारी भूमि मे नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपीलान्ट की ओर से अपील श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। नकल हेतु आवेदन करने पर 07.12.2019–11.12.2019 को ज्ञात हुआ। अतः 20.02.2015 से अपील पेश करने के दिनांक तक अवधि में लिमीटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रावधानों की रोशनी में कन्डोंन किया जाता है। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रमेश बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट ने जवाब पेश किया जो अग्रलिखित है। मृतक अब्दूल शकूर पुत्र श्री दीनमोहम्मद निवासी रजोपा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज. द्वारा अपने जीवनकाल से ही अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति की व्यवस्था कर दी गई, जिसके तहत एक अनरजिस्टर्ड वसीयत नोटरी प्रमाणित अपनी बहिन रसूलीबाई के नाम ग्राम वासियान की मौजूदगी में दिनांक 4.10.2006 को निष्पादित की गई, जिसमे उसने अपने रहवासी मकान, समस्त चल अचल संपत्ति व विवादित आराजी किता 6 रकबा 0.98 है0, है जो मृतक द्वारा राज्य सरकार से किस्तों में कय की गई थी मृतक द्वारा अपने जीवन काल से ही उक्त आराजी की संपूर्ण किस्ते जमा करवा दी गई, तथा गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार पीपल्दा के यहां पेश किया गया जिसमें विभागीय प्रक्रिया या अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से काफी समय लग गया, इसी दौरान मृतक का स्वास्थ्य खराब हो गया तथा उसकी मृत्यु हो गई, अब्दूल शकूर की मृत्यु के बाद वसीयत गृहिता उसकी बहिन रसूलीबाई द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोले जाने का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा के यहाँ पेश किया गया, जिससे श्रीमान तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 5.11.2014 से कहा गया कि उक्त आराजी गैर खातेदारी की होने की वजह से वसीयत की वैधता की वैधता पर प्रश्न किया गया, तथा हल्का पटवार को कहा कि मृतक के वारिसान की जांच करके नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जावे, हलका पटवारी द्वारा मृतक के वारिसान की जांच कर के नामान्तरण ग्राम न्यायालय ग्राम पंचायत रजोपा में पेश किया गया, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम वासियान तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मृतक का वैध वारिसान उसकी बहिन रसूली बाई के नाम नामान्तरण सः 540 दिनांक 20.2.2015 तस्दीक किया गया जो वैध है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती, तथा किसी भी व्यक्ति के अधिकार को मात्र इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती की खातेदारी के अधिकार उसके जीवन काल से प्राप्त नही हुए यह विभागीय कार्यवाही है, जिससे पारदर्शी कार्यवाही के अभाव से समय अधिकारी व कर्मचारी कार्य नहीं कर सके तथा इस आधार पर मृतक को उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता, यह विधि के तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ है। अपीलान्ट द्वारा झूठे व मानगंढत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई, मृतक से अपीलान्ट का कोई रिश्ता नहीं है, मृतक के संपूर्ण क्रिया कर्म सुपुर्द ए खाक अंतिम संस्कार आदि उसकी बहिन रसूलीबाई द्वारा सम्पन्न कये गये, तथा उक्त कार्यक्रम में भी अपीलान्ट शामिल नही हुए. ऐसी स्थिति से मात्र मृतक की जमीन हड़पने की नियत से झूठे व मनगंढत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गई है, जिसे खारिज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमर के प्रकरण कालीबाई व अन्य बनाम मांगीलाल अपील डिकी टीए नम्बर 9709/चित्तौडगढ/2008 निर्णय दिनांक 20.05.2025 का उद्धरण "गैर खातेदारी

में दर्ज भूमि पर वसीयत कानूनन अनुज्ञेय नहीं है" पेश किया। विवादित भूमि गैर खातेदारी होने से उक्त उद्धरण हस्तगत प्रकरण में सही चस्पा होता है।

हस्तगत अपील नामान्तरण नं0 540 निर्णय दिनांक 20.02.2015 ग्राम पंचायत रजोपा में मृतक शंकूर पुत्र दीना मुसलमान के नाम ख0नं0 281 रकबा 0.13है0, ख0नं0 282 रकबा 0.01है0, ख0नं0 283 रकबा 0.05है0, ख0नं0 285 रकबा 0.39है0, ख0नं0 673/280 रकबा 0.39है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0. 98है0, गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। गैर खातेदारी शंकूर पुत्र दीना की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 नं0 540 निर्णय 20.02.2015 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के नाम विरासत दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राम पंचायत अयाना का तस्दीक दिनांक 14.12.2019 पेश किया उक्त तस्दीक के अनुसार मृतक शंकूर अयाना का निवासी था जो बाद में रजोपा आकर रहने लगा। शंकूर के दो भाई अल्लानूर व गफूर व एक बहिन रसूलीबाई बताई है। अयाना की जमाबनि सं0 2074–77 के खाता सं0 18 ख0नं0 674 रकबा 0.03है0 नहरी प्रथम के खातेदार अल्लानूर, गफूर व शंकूर पुत्र दीना है। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक के सिर्फ रजोपा में निवास करने वाली बहिन के नाम ही नामा0 दर्ज किया है। जबकि मृतक के अन्य वारीसान के बारे में गहनता से जांच पडताल कर नामा0 निर्णित करना चाहिए था। यदि ग्राम पंचायत सही प्रकार से जांच करती तब शकूर के अयाना में स्थित सुलभी वारिसान का नाम भी नामा0 में दर्ज किया जाता। बिना गहन जांच के निर्णय किये गये नामा0 को अपूर्ण वारिसान के कारण निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 540 दिनांक 20.02.2015 निरस्त किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा